राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथूराम बनाम दाखा देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अपनी लिखित बहस पेश की। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
26/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 582 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 588 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 626 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मानसर खेडी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित है। पूर्व में इस विवादित भूमि के 1/4 हिस्से के काबिज रिकॉर्डेड खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता सुक्खा पुत्र वेजाराम थे जो अपने जीवनकाल में विवादित भूमि पर काबिज रह काश्त किया करते थे एवं लगान सरकारी अदा किया करते थे एवं उनका स्वर्गवास 21.09.2003 को हो गया था एवं उन्होंने अपने जीवनकाल में वादी को गोद ले लिया था एवं उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी पूर्ण सहमति व स्वतन्त्र इच्छा के बिना किसी दबाव के अपने इस पैतृक विवादित भूमि में निहित हक व अधिकारो का हक त्याग जरिये रजिस्टर हक त्यागपत्र द्वारा अपनी माता गुलाबदेवी बेवा सुक्खा व अपने दत्तक भाई नाथूराम दत्तक पुत्र सुक्खा के हक में दिनांक 03.02.2004 को साक्षियों के समक्ष कर दिया था एवं हक त्यागपत्र 100/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर एवं एक पाई पेपर पर तैयार करवाया गया था, जिस पर वादी एवं उनकी माता गुलाब देवी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की फोटो भी चस्पा की गई थी एवं साक्षियों एवं उप पंजीयक महोदय के सामने अपने हस्ताक्षर इस हक त्याग पत्र पर कर दिये थे एवं अपने हक व अधिकारों का त्याग वादी व अपनी माता गुलाब देवी के पक्ष में कर दिया था एवं उप पंजीयक महोदय बस्सी ने पंजीबद्ध किये जाने की फीस जमा कर इस हक त्यागपत्र को पंजीबद्ध कर दिया था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी इस पैतृक विवादित भूमि में निहित हक व अधिकारो का त्याग दिनांक 03.02.2004 को कर दिया था एवं उसी दिन से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक व अधिकार अपनी इस पैतृक विवादित भूमि में से समाप्त हो गये थे एवं कब्जा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथूराम बनाम दाखा देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	353/2015	

भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी माता व भाई को संभला दिया था एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पिता की इस विवादित भूमि का विरासत का नामान्तरकरण वादी व उनकी माता के नाम खुला व तस्दीक हो गया था एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 03.02.2004 के हक त्यागपत्र को आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय से खारिज नही करवाया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दिनांक 03.02.2004 के रजि. हक त्यागपत्र के कानूनी रूप से पाबन्द है एवं उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नही करने हेतु भी पाबन्द है एवं कानूनी रूप से भी कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति में निहित अपने हक व अधिकारों का एक बार हक त्याग कर देने के बाद पुनः हक व अधिकार प्राप्त नही कर सकता है तथा वादी ने वाद पत्र में अपना सजरा खानदान प्रस्तुत किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता गुलाब देवी बेवा सुक्खा की मृत्यु के बाद राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने सहवन से एवं अवैधानिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता गुलाब देवी बेवा सुक्खा की विरासत का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 03.02.2004 को ही हक त्याग कर देने के बावजूद भी वादी के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम भी खोल व तस्दीक कर दिया गया था जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कोई आवेदन हक त्याग कर देने के बाद अपनी माता गुलाब देवी बेवा सुक्खा की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम खोलने व तस्दीक करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत व तहसीलदार महोदय बस्सी के समक्ष प्रस्तुत नही किया था एवं वादी ने विरासत का नामान्तरकरण मात्र अपने पक्ष में खोलने हेतु आवेदन किया था एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये हक त्यागपत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार महोदय बस्सी के समक्ष प्रस्तुत की थी जिस पर तहसीलदार बस्सी ने पटवारी हल्का के नाम नामान्तरकरण भरने का आदेश प्रदान कर दिया था एवं पटवारी हल्का ने सहवन से एवं अवैधानिक रूप से गुलाब देवी बेवा सुक्खा की विरासत का नामान्तरकरण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में भर दिया एवं बाद में उसे राजस्व अधिकारियों द्वारा तस्दीक कर दिया गया था जिसकी पूर्व में वादी को जानकारी नही रही है। वादी अपने 1/4 हिस्से की पैतृक विवादित भूमि पर काबिज काश्त है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है एवं राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने गुलाब देवी बेवा सुक्खा की विरासत का नामान्तरकरण खोलने एवं तस्दीक करते समय वादी को सुनवाई का कोई अवसर दिया था अपने मनमाने तरीके से गुलाब देवी बेवा सुक्खा की विरासत का नामान्तरकरण हक त्याग कर देने के बावजूद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथूराम बनाम दाखा देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
353/2015		

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम भी अवैधानिक रूप से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने खोल व तस्दीक कर दिया था जो कि वादी के अधिकारो के मुकाबले कानूनी रूप से शून्य एवं बेअसर है एवं उसका वादी के अधिकारो पर कानूनी रूप से कोई विपरीत प्रभाव नही हो सकता है एवं वादी के पिता को भी यह विवादित भूमि विरासत में उनके पिता वेगाराम से विरासत में प्राप्त हुई थी एवं कानूनी रूप से नहीं माने गये है मात्र पुत्र एवं पौत्र के हक व अधिकार माने गये है। इस प्रकार भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विवादित भूमि में कानूनी रूप से कोई हक व अधिकार नही बनते है | इस कारण वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादीगण के उपस्थित आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत कैम्प मानसर खेडी में नियत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17/06/2015 पारित करते हुए वादी द्वारा वाद को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा किये गये हक़त्याग के आधार पर गलत तथ्यों का पेश किये जाने के कारण वो चलने योग्य नही होना धारित करते हुए ख़ारिज फरमा दिया गया | जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया |

अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | यद्धपि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम के साथ यह अपील प्रस्तुत की गयी है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17/06/2015 के विरुद्ध यह अपील दिनांक 29/07/2015 को अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है ऐसेमें प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है | गुणावगुण के सन्दर्भ में उभयपक्षों द्वारा उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के सन्दर्भित तथ्यों एवं साक्ष्यो का विस्तृत विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथूराम बनाम दाखा देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	353/2015 अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17/06/2015 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक 26/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	